



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा.सं. NCST/DEV-2711/JH/86/2024-RO-RNC-RU-IV

दिनांक : 20.11.2025

सेवा मे,

1 श्री दिनेश कुमार यादव
उपायुक्त,
जिला - गढ़वा
उपायुक्त कार्यालय,
समाहरणालय भवन,
गढ़वा, झारखंड 822114
Email Id: dc-gar@nic.in

2 श्री अमन कुमार
पुलिस अधीक्षक,
जिला - गढ़वा
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
झारखंड पुलिस,
गढ़वा, झारखंड 822114
Email Id: sp-garhwa@jhpolic.gov.in

विषय: अभ्यावेदक श्री चरखू भोक्ता, श्री नरेश सिंह, श्री लालकेशवर सिंह एवं अन्य, ग्राम बुलाई उर्फ बौलिया -, थाना डंडई -, जिला - छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा " से प्राप्त अभ्यावेदन (झारखंड) गढ़वा 46,47 एवं अन्य के अंतर्गत प्रतिबंधित रैयत की जमीन का गलत कागजात बनाकर उनकी जमीन हड़पने, प्रताड़ित करने तथा धमकी देने के संबंध में।

संदर्भ: आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का नोटिस दिनांक 17.06.2024 (प्रतिलिपि संलग्न)।

महोदय,

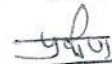
चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अनूवेषककी जांच/ जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **01.12.2025 को 14:10 Hrs** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय


(प्रवीण कुमार सिंह) 20.11.25
अवर सचिव

E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री नरेश सिंह,
ग्राम बुलाई उर्फ बौलिया,
थाना डंडई -, जिला गढ़वा-,
झारखण्ड,
Mobile No: 6353326174

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading